

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या-740 / पॉच-5-2020
लखनऊ दिनांक: 28 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों का सहयोग लिया जाना नितांत आवश्यक है। निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु प्रयोग करने हेतु Term of Reference एवं वित्तीय देयता का निर्धारण करने के उद्देश्य से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में एतद्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-

1. डा० रुकुमकेश, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2. श्रीमती संगीता सिंह, सीईओ, सांचीज़	सदस्य सचिव
3. डॉ डीएस नेगी, निदेशक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ	सदस्य
4. प्रतिनिधि, नर्सिंग होम एसोसिएशन, लखनऊ	सदस्य
5. प्रतिनिधि आईएमए, लखनऊ	सदस्य
6. प्रतिनिधि टीएसयू, लखनऊ	सदस्य
7. एमडी, एनएचएम द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सांचीज़ द्वारा नामित टी०एस०य०० के प्रतिनिधि	सदस्य

2— उपरोक्त समिति आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, द्वारा निर्धारित पैकेज रेट का अध्ययन कर निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 में प्रयोग करने की स्थिति में Term of Reference एवं वित्तीय देयता पर अपनी संस्तुति 02 दिनों में उपलब्ध कराएगी।

वी० हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या- 740(1) / पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

2—महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त समिति के नामित सदस्यों का सक्षम स्तर से नामांकन करा ले।

3—समस्त संबंधित अधिकारीगण।

4—गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।